नातेदारी-व्यवस्था

[KINSHIP-SYSTEM]

नातेदारी एवं विवाह का विषय मानवशास्त्रीय विचारधारा एवं अध्ययन पर एक लम्बे समय तक छाया रहा है। पिछले सौ वर्षों से इस विषय का विकास हो रहा है, अनेक मानवशास्त्रियों ने विश्व के विभिन्न भागों में बसने वाली जनजातियों के समाजों का अध्ययन करके अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं और नातेदारी, विवाह, परिवार और अन्य मानवशास्त्रीय विषयों में हमारे ज्ञान की वृद्धि की है। इन विद्वानों में **मैक्लैनन, हेनरीमेन, लुईस मॉर्गन, रैडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की, इवान्स प्रिचार्ड, मुरडॉक, मेयर फोरटेस, लेवी स्ट्रॉस, लुई इयूमां,** आदि मानवशास्त्रियों के नाम नातेदारी के अध्ययन के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। **"मानवशास्त्र में नातेदारी का वही महत्व है जो दर्शनशास्त्र के लिए 'तर्क' का है अथवा कला के लिए 'नग्नता' का। वह विषय की मूलभूत साधना है।...वह उसके आकर्षण का एक अंग है।"**[1] नातेदारी का अध्ययन प्रारम्भ करने वालों में वकील एवं विधिशास्त्र के विद्यार्थी थे। इसलिए आज नातेदारी का अध्ययन अधिकार, दावे, दायित्व, पितृ अधिकार, संविदा, पितृबन्धुता जैसी सामूहिक अवधारणाओं तथा कानूनी शब्दावली से परिपूर्ण है। सम्पत्ति का हस्तान्तरण एवं उत्तराधिकार किसे होगा—इसका निर्धारण नातेदारों में वरीयता के आधार पर किया जाता है।

नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी को। सृष्टि के प्रारम्भ से ही जिन बातों ने व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनमें आर्थिक हित और सामूहिक सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं। सामूहिक सुरक्षा की भावना ने ही कई छोटे-मोटे संघों के निर्माण की प्रेरणा दी जो परिवार से लेकर राष्ट्र तक हैं। समान भाषा, धर्म, जाति एवं राष्ट्र के लोगों के बीच व्यक्ति अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन इनसे भी अधिक सुरक्षित वह अपने को नातेदारों में पाता है, जिनके साथ उसके सामाजिक, नैतिक, आर्थिक हित जुड़े हैं? वह राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश सभी बदल सकता है, परन्तु नातेदारी नहीं, इसमें रक्त का बन्धन है। अतः जंगली और असभ्य जनजातियों से लेकर सभ्य समाजों तक में इसे पुष्ट एवं विश्वसनीय माना जाता है। दुनियां में ऐसे लोग बहुत कम ही हैं जो वंश कुलों की पहले से

---

1. गॉविन फॉक्स, **नातेदारी एवं विवाह**, हिन्दी अनुवाद, पृ. ३.